

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 03 अप्रैल, 2023 ई0 चैत्र 13, 1945 शक सम्वत्

#### उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 132/XXXVI (3)/2023/76(1)/2022 देहरादून, 03 अप्रैल, 2023

#### अधिसूचना

#### विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2022' पर दिनांक 31 मार्च, 2023 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 06, वर्ष—2023 के रूप में सर्व—साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2023)

उत्तराखण्ड मतस्य अधिनियम, 2003 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।
  - (2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।
  - (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम में संशोधन

2. उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "उत्तरांचल" शब्द के स्थान पर जहाँ—जहाँ वे आते हैं, "उत्तराखण्ड" शब्द रखा जायेगा।

धारा 4 का संशोधन

 मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:—

"मछलियों की बिक्री को निषेध करने का अधिकार" 4. राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निषेध कर सकती है कि किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में, जो इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किये जायें, कोई ऐसी मछली बिक्री या अदला—बदली के लिये प्रस्तुत या प्रदर्शित न की जाय जो इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करके पकड़ी अथवा मारी गई हो।

धारा 5 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्निलिखत धारा
 प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्ः—

"दण्ड"

- 5. धारा 3 के अधीन बनाये गये किसी नियम का या किसी ऐसे निषेध का उल्लंधन करने पर जिसके सम्बन्ध में, धारा 4 के अधीन विज्ञाप्ति निकाली गई हों, निम्नलिखित दण्ड दिया जायेगा—
- (I) प्रथम बार के उल्लंघन करने पर पांच सौ **फपये सक का** अर्थदण्ड, और
- (ii) पश्चात्वर्ती प्रत्येक बार उल्लंघन करने पर एक हजार फपये तक का अर्थदण्ड।

धारा 6 का संशोधन

''विस्फोटकों द्वारा मछली विनाश पर दण्ड''

- 5. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:—
  - 6. (1) यदि कोई व्यक्ति विस्फोटकों के प्रयोग से, किसी जल क्षेत्र में किसी मछली को मारता, पकड़ता या नष्ट करता है, पहली बार दण्डनीय घोषित होने पर "रूपये दो हजार न्यूनतम" तथा उक्त के अतिरिक्त "अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि इस प्रकार से विहित होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जाय". का अर्थदण्ड।
  - (2) जो कोई पहुले ही उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया हो, उसी अपराध के लिये फिर से दोषसिद्ध होने पर, प्रत्येक पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर जुर्माना जो कि "रूपये दो हजार न्यूनतम" तथा उक्त के अतिरिक्त "अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि इस प्रकार से विहित होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय", का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।
  - (3) यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में नदी, जलधारा, खड्ड, तालाब, झील, जलाशयं जो मछली के निवास स्थल हैं, के निकट बारूद या विस्फोटक पदार्थ, जो मछली मारने में प्रयोग हो सकते हैं पाये जाये, तो जब तक वृह ऐसे बारूद या विस्फोटक पदार्थ को कब्जे में विधिपूर्ण उद्देश्य से रखने का संतोषप्रद स्पष्टीकरण न दे सके तो वह जुर्माना जो "अधिकतम अर्थदण्ड की धनराश इस प्रकार विहित होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जाय" का हो सकेगा से दण्डनीय होगा।

घारा 7 का संशोधन

"जहर द्वारा मछली विनाश पर दण्ड"

- मूल अधिनियम की धारा 7 की उपघारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपघारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्ः
  - (2) यदि कोई व्यक्ति उस ऋतु के दौरान जिसमें मछली मारना या पकड़ना धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अधीन बनाये गये नियम द्वारा निषिद्ध है, जाल से मछली मारता या पकड़ता है तो वह जुर्माना से जो "अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि इस प्रकार विहित होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जाय" का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

आज्ञा से, शमशेर अली, अपर सचिव। 2-

## 'कारण एवं उद्देश्य'

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में मत्स्य पालन की व्यवस्था तथा तद्सम्बन्धी विषयों के लिये उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 प्रख्यापित किया गया है। मारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता (competitiveness) में सुधार लाने और नियामक ढांचे को सरल बनाने के लिये नियामक अनुपालन बोझ (regulatory compliance burden) को कम करने और गैर—अपराधीकरण के लिये की गयी पहल के दृष्टिगत जिन प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत फर्म/व्यवसाय/नागरिक के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रियाएं एवं मुकदमें पंजीकृत किये जाते हैं, को Decriminalize किया जाना है। अतः भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 की कतिपय धाराओं यथा—धारा—4, धारा—5, धारा—6 एवं धारा—7 की उपधारा—2 में से कारावास के दण्ड का प्रावधान विलोपित किया जाना प्रस्तावित हैं।

प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

सौरम बहुगुणा मंत्री

#### No. 132/XXXVI(3)/2023/76(1)/2022 Dated Dehradun, April 03, 2023

#### NOTIFICATION

#### Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Fisheries (Amendment) Act, 2022' (Act No. 06 of 2023).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 31 March, 2023.

#### THE UTTARAKHAND FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 2022

(Uttarakhand Act No. 06 of 2023)

Àπ

Act

further to amend the Uttarakhand Fisheries Act, 2003

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy third Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement 1.

- (1) This Act may be called the Uttarakhand Fisheries (Amendment), Act, 2022.
- (2) It extends to whole of State of Uttarakhand.
- (3) It shall come into force at once.

Amendment in the Act

 In the Uttaranchal State Fisheries Act, 2003 (hereinafter referred to as the principal Act) for the word "Uttaranchal" wherever it occurs, the word "Uttarakhand" shall be substituted.

Amendment of Section 4  For Section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Power to prohibit sale of fish

4. The State Govt. may, by notification in the official Gazette, prohibit in such area or areas as may be specified in this behalf the offering or exposing for sale or barter of any fish catched or killed in contravention of any rule made under, sub-section (3) of section 3 this Act.

## Amendment of Section 5

 For Section 5 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

#### Penalties

5. The breach of any rule made under section 3 or of any prohibition notified under section 4 shall be punishable –

(1) On first conviction with fine which may extend to five hundred rupees.

(2) On every subsequent conviction with fine which may extend to one thousand rupees.

#### Amendment of Section 6

 For Section 6 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

Punishment for destruction of fish by explosive

- 6. (1) If any person uses any explosive substances in any water with intent thereby to kill, catch or destroy any fish, he shall be punishable with fine which may "Rupees Two Thousand minimum" and in addition to the above "the amount of maximum fine shall be prescribed in such a manner as may be determined by the State Government from time to time".
- (2) Whoever, having already been convicted of an offence under sub-section (1) is again convicted thereunder, shall, on every subsequent conviction, be punishable with fine which may "Rupees Two Thousand minimum" and in addition to the above "the amount of maximum fine shall be prescribed in such a manner as may be determined by the State Government from time to time".
- (3) If a person is found to be in possession of a dynamite or any other explosive substance for the purpose of killing the fish near or in the vicinity or on the bank of a river, rivulet, khadd, pond, lake, reservoir which are habitated by the fishes, shall unless he explains satisfactorily that his possession or control over such a dynamite or the explosive substance was for a lawful object, be punishable with fine may "The amount of maximum fine shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time."

## Amendment of Section 7

For sub-section (2) of Section 7 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

Punishment for destruction of fish by poisoning (2) If any person kills or catches fish with a net during the season, in which killing or catching of fish is prohibited under any rule framed under clause (d) of sub-section (3) of section 3, shall be punishable with fine which may "The amount of maximum fine shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time."

By Order,

SHAMSHER ALI, Additional Secretary.

## Statement of objects and reasons

The Uttaranchal Fisheries Act. 2003 has been promulgated by the State Government for the arrangement of fisheries in the state of Uttarakhand and related matters. In view of the initiative taken by the Government of India to improve the competitiveness of the economy and to simplify the regulatory framework, to reduce the regulatory compliance burden and for decriminalization, the provisions under the Acts Rules promulgated in the State, the cases are registered against Firm/Business Criminal procedures and Citizens, to be decriminalized. Therefore, in compliance with the above instructions of the Government of India, the provision of punishment of imprisonment in certain sections of the L'ttaranchal Fisheries Act. 2003, such as section-4, section-5, section-6 and sub-section-2 of section-7 is proposed to be omitted.

2- The proposed Bill fulfills the aforesaid objectives.

Saurabh Bahuguna Minister